प्रपत्र –8 (अ–1)
अनुसूची–3 (11) (ii)

(मध्य प्रदेश के शासकीय स्वशासी तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातक पाठयक्रम (एम.बी.बी.एस.) में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जून 2019 को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021, संशोधन नियम 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम दिनांक 10 मई 2023 तथा. 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ– मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम (MBBS Course) पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब– विहित अवधि जो कि शासकीय/निजी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर **एक वर्ष** शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सेवाएं न देने की स्थिति में मैं शासन को रू0 10 लाख (अनारक्षित वर्ग हेतु) रू0 5 लाख (आरक्षित वर्ग हेतु) भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।

स– अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने की स्थिति में विहित अवधि जो कि शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। एवं निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविधालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा सेवा के नाम से होगा।

द– विहित अवधि जो मुख्य मंत्री जनकल्याण योजना के अन्तर्गत शासकीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर 2 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 10 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 5 वर्ष की सेवा देने अथवा रू0 25 लाख भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ। निजी चिकित्सा महाविधालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा शिक्षा के नाम से होगा।

ध– यह कि ग्रामीण सेवा न करने /बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज जिसमें प्रवेश के समय जमा कराये गये दस्तावेज तथा एमबीबीएस प्रथम, द्वितीय, फाईनल पार्ट–1 एवं फाईनल पार्ट–2 की अंकसूची भी सम्मिलित है वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1......................................

2......................................

प्रपत्र –8 (अ–2)

अनुसूची–3 (11) (ii)

(मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा से स्नातक पाठयकम (एम.बी.बी.एस.) के प्रवेशित अभ्यर्थी जो मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के लाभार्थी हैं)

ग्रामीण सेवा बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं । मुझे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त निजी चिकित्सा महाविद्यालय के शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजना अन्तर्गत **ब्याज रहित ऋण** के रूप में शासन द्वारा देय होगी।

2– मैने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जून 2019 को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021, संशोधन नियम 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम दिनांक 10 मई 2023 तथा. 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढकर समझ लिया है। मैंने मध्यप्रदेश शासन तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 5–6/2017/42 (1) दिनांक 14/06/2025 को भी भलीभॉती पढ़कर समझ लिया है।

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ– मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यकम (MBBS Course) पूर्ण करने के पश्चात् आगामी (In-continuation) 05 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करूंगा/करूंगी। निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में 05 वर्ष सेवाकाल पूर्ण न करने की स्थिति में, अनुपातिक रूप से **शेष ऋण** की राशि (बिन्दु 1 में उल्लेखित) का भुगतान शासन को करने का वचन देता/देती हूँ।

निजी चिकित्सा महाविघालय में प्रवेश होने पर बॉड का निष्पादन संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के नाम से होगा।

ब– यह कि पूर्ण ग्रामीण सेवा न करने पर अनुपातिक शेष ऋण की राशि शासन को जमा न किये जाने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज जिसमें प्रवेश के समय जमा कराये गये दस्तावेज तथा एमबीबीएस प्रथम, द्वितीय, फाईनल पार्ट–1 एवं फाईनल पार्ट–2 की अंकसूची भी सम्मिलित है वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1.....................................

2.....................................

फोटो

प्रपत्र –8 (ब)

अनुसूची–3 (11) (i)

(चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 पाठयक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

सीट लिविंग बॉण्ड

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 19 जून 2019 को प्रकाशित संशोधित चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन दिनांक 05 अक्टूबर 2021, संशोधन नियम 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम दिनांक 10 मई 2023 तथा 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढकर समझ लिया है

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती / करता हूं कि :–

अ. मैं चिकित्सा / दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा / करूंगी ।

ब. यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के नियमानुसार विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा / शासकीय** दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि रू0 30,00,000 / –(रू0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हूॅं / देती हूॅं। निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय में **प्रवेश की स्थिति में त्याग पत्र दिये जाने अथवा निष्कासन पर** पाठयक्रम की पूर्ण अवधी / शेष अवधि का शैक्षणिक शुल्क का भुगतान **करने का वचन देता / देती हूॅं।**

स. यह कि सीट लिविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1......................................

2.....................................